इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 19, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. ई. 5-659-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 13 से 20 दिसम्बर 2010 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. के. वेद, की अवकाश अवधि में श्री मनीष श्रीवास्तव, आय.ए.एस., कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. के. वेद, द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष श्रीवास्तव, कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. ई. 5-701-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएएस, सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल को दिनांक 4 से 10 दिसम्बर 2010 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2010 का स्थानीय अवकाश एवं दिनांक 11, 12 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओमेश मूंदड़ा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ओमेश मूंदड़ा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओमेश मूंदड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-743-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. बी. सिंह, आयएएस, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 तथा 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एस. बी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री एस. डी. अग्रवाल, आय.ए.एस., कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. डी. अग्रवाल, कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-772-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएएस, कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री मनोज खत्री, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला सिंगरौली का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज खत्री, कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-529-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय तिर्की, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त को दिनांक 24 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिर्की को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. ई. 5-862-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएएस, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, छिंदवाड़ा को दिनांक 1 से 15 दिसम्बर 2010 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, छिंदवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-562-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएएस, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्र. ई. 5-291-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 4 से 16 दिसम्बर 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री ओ. पी. रावत की अवकाश की अवधि तक उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, आयएएस वि. क. अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ देखेंगे.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई. 5-299-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सत्य प्रकाश, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 6 से 24 दिसम्बर 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश अवधि में दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सत्य प्रकाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सत्य प्रकाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्य प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. ई-5-267-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्रीमती आई. एम. चहल, आयएएस, (1976) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2010 द्वारा स्वीकृत दिनांक 10 से 11 फरवरी 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा आदेश दिनांक 10 जून, 2010 द्वारा दिनांक 22 से 30 जून 2010 तक नौं दिन का अर्जित अवकाश (2+9=11) स्वीकृत किया गया था. अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये अब उन्हें उक्त स्थान पर 11 दिन का लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. ई. 5-799-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जगदीश शर्मा, आयएएस, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 4 से 16 दिसम्बर 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जगदीश शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. ई. 5-97-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रंजना चौधरी, आयएएस, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2010 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 8 से 12 नवम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई. 5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री जे. पी. आईरिन सिंथिया, आयएएस, सहायक कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री जे. पी. आईरिन सिंथिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री जे. पी. आईरिन सिंथिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री जे. पी. आईरिन सिंथिया अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. 5-869-आईएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएएस, सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 13 से 18 अक्टूबर 2010 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. ई.-1-461-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री पी. के. दाश (1981) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री दीपक खाण्डेकर (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री.	प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा पर्यटन विभाग तथा पदेन आयुक्त,पर्यटन, मध्यप्रदेश.	
3.	श्री इकबाल सिंह बैंस (1985) प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा पर्यटन विभाग तथा पदेन आयुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश.	महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
4.	श्री अनिल जैन (1986), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेड) का अतिरिक्त प्रभार.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	–
5.	श्री अनिरुद्ध मुखर्जी (1993), प्रशिक्षण से वापस लौटने पर.	आयुक्त सह-संचालक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.	संभागीय कमिश्नर
6.	श्रीमती मधु खरे (1997), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
7.	श्री योगेन्द्र शर्मा (1999), कलेक्टर, विदिशा.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8.	श्री सी. बी. सिंह (2001), आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर	कलेक्टर विदिशा.	–
9.	श्री एम. बी. ओझा (2001), संचालक, ग्रामीण रोजगार	कलेक्टर राजगढ़.	–
10.	श्री लोकेश कुमार जाटव (2004), कलेक्टर, राजगढ़.	संचालक ग्रामीण रोजगार.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) उपरोक्तानुसार श्री इकबाल सिंह बैंस भाप्रसे (1985) द्वारा महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक श्रीवास्तव भाप्रसे (1984), पर्यावरण आयुक्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अपरंपरागत ऊर्जा विभाग तथा महानिदेशक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) एवं प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन केवल महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एक्को) के प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री रजनीश वैश, भाप्रसे (1985) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04 नवम्बर 2010

क्र. एफ-2-25-2010-जसं.-चौबीस.—राज्य शासन, जनसंपर्क संचालनालय के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सूचना सहायक (पुनरीक्षित वेतन बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 2800) का पद नाम परिवर्तित कर ''सहायक सूचना अधिकारी'' करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) पदनाम बदलने के फलस्वरूप वेतनमान, वेतन और भत्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लाजपत आहूजा, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2010

क्र. एफ-5-25-97-उन्तीस-2(शुद्धि-पत्र).—विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-25-97-उन्तीस-2, दिनांक 29 सितम्बर 2010 के बिन्दु क्र. 6 में उल्लेखित नाम श्री एस. के. परमार के स्थान पर ''श्री के. एस. परमार'' पढ़ा जाये.

आर. के. चौकसे, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. एफ-1(ए) 253-88-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रेल, भोपाल को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 8, 9 जनवरी 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2006-09 के विस्तार वर्ष 2010 भारत में भ्रमण की पात्रता अवकाश यात्रा के अन्तर्गत बंगाराम ''लक्षदीप'' जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ यात्रा की अनुमति दी जाती है:—

1.	डॉ. आर. के. गर्ग	-	स्वयं
2.	श्रीमती बंदना गर्ग	-	पत्नी
3.	कु. प्रियंका गर्ग	-	पुत्री
4.	मास्टर मयंक गर्ग	-	पुत्र

(3) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन श्रीमती अरूणा राव मोहन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (अजाक) पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा.

(4) उक्त यात्रा हेतु स्वीकृत अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप इनके अर्जित अवकाश खाते से 12 दिवस का अर्जित अवकाश घटाया जावेगा.

(5) उक्त यात्रा हेतु श्री गर्ग को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(6) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक रेल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(7) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर.के. गर्ग, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक रेल, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(8) अवकाश काल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(9) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. एफ-1-(ए)188-91-ब-2-दो.—डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 27 से 30 दिसम्बर 2010 तक कुल चार दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. एफ-1(ए) 165-89-ब-2-दो.—श्री यू.सी. षंड़गी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2010 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 दिसम्बर 2010 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री यू. सी. षंड़गी, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन हेतु इनका कार्य श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री यू.सी. षंड़गी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यू.सी. षंड़गी, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु उपर्युक्त निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री यू.सी. षंड़गी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू.सी. षंड़गी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. एफ-1-(ए) 168-89-ब-2-दो.—श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 15 से 31 दिसम्बर 2010 तक कुल सत्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे की उक्त अवकाश अवधि में इन्हें सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन हेतु इनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्यों के साथ-साथ किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर इनके अवकाश अवधि में इनके दायित्वों के निर्वहन हेतु उपर्युक्त निर्देशित अधिकारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 01 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-1-(बी) 56-07-बी-4-दो.—राज्य शासन मध्यदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2010 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्न अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा (संवर्ग-एम.टी.) में कनिष्ठ वेतनमान 15,600-39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है. आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण

कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)
1	01	श्री ममतेश कुमार माली, 27/1 ओंकार नगर, मांडू रोड, जिला धार, मध्यप्रदेश पिन-454001

(2) श्री ममतेश कुमार माली को परिवीक्षा अवधि में ''संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण'' प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेगी.

(3) परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) श्री ममतेश कुमार माली की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी. उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक ''बॉड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. ''बॉण्ड'' का प्रारूप संलग्न है, जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(8) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. एफ-2-46-07-बारह.—मेसर्स प्रीमियर निकल माईन्स प्रा.लि. द्वारा जिला धार एवं झाबुआ में हीरा, सोना, निकल, पीजीई, क्रोमियम, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, टंगसटन, आयरन एवं सहयोगी खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 592 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 467 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियासत नियम, 1960 के नियम 7(1) (i) (क) अनुसार परित्याग किया गया है. खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1) (क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु	अक्षांश	देक्षांश
(1)	(2)	(3)
खण्ड 1		
A	22° 31' 28.90"	74° 25' 51.04"
B	22° 36' 05.78"	74° 31' 31.96"
C	22° 25' 05.22"	74° 41' 56.39"
I	22° 25' 24.51"	74° 39' 21.62"
H	22° 31' 16.29"	74° 34' 18.71"
G	22° 28' 21.52"	74° 30' 10.48"
J	22° 22' 25.80"	74° 35' 03.63"
F	22° 22' 34.34"	74° 34' 14.77"
A	22° 31' 28.90"	74° 25' 51.04"
खण्ड 2		
F	22° 22' 34.34"	74° 34' 14.77"
J	22° 22' 25.80"	74° 35' 03.63"
I	22° 25' 24.51"	74° 39' 21.62"
C	22° 25' 05.22"	74° 41' 56.39"
D	22° 12' 40.49"	74° 41' 57.99"
E	22° 12' 45.41"	74° 34' 07.48"
F	22° 22' 34.34"	74° 34' 14.77"

इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म ''खनिज भवन'' 29-ए, अरेरा

हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

क्र. 2-46-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 25 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 25th November 2010

No. 2-46-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 467 Km^2 out of 592 Km^2 in Dhar & Jhabua districts which was previously held by M/s Premier Nickel Mines Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond, Gold, Nickel, PGE, Chromium, Copper, Lead, Zinc, Silver, tungsten, Iron & associated minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per rule 7(1)(i) (a) of the daid rules, Details of the area are as below

Point (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
BLOCK 1		
A	22° 31' 28.90"	74° 25' 51.04"
B	22° 36' 05.78"	74° 31' 31.96"
C	22° 25' 05.22"	74° 41' 56.39"
I	22° 25' 24.51"	74° 39' 21.62"
H	22° 31' 16.29"	74° 34' 18.71"
G	22° 28' 21.52"	74° 30' 10.48"
J	22° 22' 25.80"	74° 35' 03.63"
F	22° 22' 34.34"	74° 34' 14.77"
A	22° 31' 28.90"	74° 25' 51.04"
BLOCK 2		
F	22° 22' 34.34"	74° 34' 14.77"
J	22° 22' 25.80"	74° 35' 03.63"
I	22° 25' 24.51"	74° 39' 21.62"
C	22° 25' 05.22"	74° 41' 56.39"
D	22° 12' 40.49"	74° 41' 57.99"
E	22° 12' 45.41"	74° 34' 07.48"
F	22° 22' 34.34"	74° 34' 14.77"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, till 90 days. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. एफ-4-5-2003-चौवन-दो.—मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के संविधान की धारा-6 एवं धारा 23(1)(2)(3)(4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी की सामान्य सभा एवं कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:—

1. डॉ. बशीर बद्र - सदस्य

2. **प्रोदेशिक स्तर की प्रमुख साहित्यिक संस्था के निम्नलिखित दो प्रतिनिधि.**
   श्री अखतर वामिक, भोपाल — सदस्य
   श्री शेख निजामी, जबलपुर — सदस्य

3 **अकादमी के रतन सदस्यों में से निम्नलिखित दो सदस्य.**
   प्रो. कौसर जहाँ, भोपाल — सदस्य
   श्री आरिफ अजीज, भोपाल — सदस्य

4 **प्रदेश के उर्दू के निम्नलिखित दो विद्धान**
   डॉ. शाहिद मीर, सिरोंज — सदस्य
   श्री रशीद अंजुम, भोपाल — सदस्य

5 **प्रदेश के निम्नलिखित नौ साहित्यकार**
   डॉ. रजिया हामिद, भोपाल — सदस्य
   श्रीमती रूबाब फातमा जैदी, भोपाल — सदस्य
   डॉ. कैलाश गुरू स्वामी, सीहोर — सदस्य
   श्री इशरत कादरी, भोपाल — सदस्य
   श्री जफर सहवाई, भोपाल — सदस्य
   डॉ. अशफाक आरिफ, जबलपुर — सदस्य
   श्री शब्बीर राही, रतलाम — सदस्य
   श्री मकबूल अहमद, सतना — सदस्य
   श्री कमरूद्दीन बरतर, ग्वालियर — सदस्य

6	**सचिव म. प्र. साहित्य परिषद्**	— सदस्य
7	**उर्दू अकादमी के दो खिदमतगार**	
	प्रो. हैदर अब्बास रिजबी, भोपाल	— सदस्य
	डॉ. नरेन्द्र वीरमणि, इन्दौर	— सदस्य
8	**यूनिवर्सिटी/कालेज/स्कूल के असातिजा में से एक—कुल तीन**	
	प्रो. एस. यू. मुस्तफा, सागर	— सदस्य
	डॉ. मो. शफी, बुरहानपुर	— सदस्य
	डॉ. सैफी सिरोजी, सिरोंज	— सदस्य
9	श्रीमती नुसरत मेहदी	—सदस्य-सचिव

अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने के दिनांक से तीन वर्षों के लिए होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. एफ. 3-55-2010-दो ए (3)-**शुद्धिपत्र.**—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 2010 के तहत सामान्य प्रशासन, राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये सम्पन्न विभागीय परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी एवं सी में भोपाल संभाग से सम्मिलित श्री तेजस्वी एस. नायर, सहायक कलेक्टर, उच्चस्तर से अंकित है, जो निम्नस्तर से उत्तीर्ण हुए है.

2. उक्त अधिसूचना में कुल 15 परीक्षार्थी उच्चस्तर से उत्तीर्ण हुए है सरल क्रमांक 09 को विलोपित कर संशोधित किया गया है, अब श्री तेजस्वी एस. नायर, सहायक कलेक्टर, निम्नस्तर से उत्तीर्ण पढ़ा जाए.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. एफ.-3-64-2010-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र हिन्दी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
1	श्री इलैयराजा टी.	सहायक कलेक्टर
2	सुश्री प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर
	इन्दौर संभाग	
3	डॉ. नीरज चौरसिया	उप पुलिस अधीक्षक

क्र. एफ.-3-65-2010-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	श्री रविन्द्र परमार	सहायक भौमिकी विद्
	निम्नस्तर	
	रीवा संभाग	
1	श्री बसंत राम	सहायक भौमिकी विद्
	भोपाल संभाग	
2	सुश्री प्रीति ठाकुर	सहायक भौमिकी विद्
3	सुश्री प्रीति ठाकुर	रसायनज्ञ
	जबलपुर संभाग	
4	श्री मन्नू डामोर	सहायक भौमिकी विद्

क्र. एफ.-3-70-2010-दो ए (3).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 जुलाई 2010 को प्रश्नपत्र वन विधि (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
1	श्री रामशरण गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
2	श्री रामसिहं तोमर	सहायक वन संरक्षक
3	श्री सत्यनारायण प्रजापति	सहायक वन संरक्षक
4	श्री आर. एन. साहू	सहायक वन संरक्षक
5	श्री शेखर जंगले	सहायक वन संरक्षक

(1)	(2)	(3)
6	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक वन संरक्षक
7	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक वन संरक्षक
8	श्री मधुसूदन गुहा	सहायक वन संरक्षक
9	श्री आर. के. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
10	श्री ए. के. दीक्षित	वन क्षेत्रपाल
11	श्री कालीचरण भल्ला	सहायक वन संरक्षक
12	श्री आर. एस. भदौरिया	सहायक वन संरक्षक
	जबलपुर संभाग	
13	श्री आबिद खान	सहायक वन संरक्षक
14	श्री आर. एन. तिवारी	सहायक वन संरक्षक
15	श्री अशोक कुमार हनवते	सहायक वन संरक्षक
16	श्री सुरेश कुमार किनकर	सहायक वन संरक्षक
	इन्दौर संभाग	
17	श्री भूपेश कुमार शुक्ला	सहायक वन संरक्षक
	ग्वालियर संभाग	
18	श्री आर. एल. दधीच	सहायक वन संरक्षक
19	श्री लालबाबू गोयल	सहायक वन संरक्षक
20	श्री शीतल प्रसाद शाक्य	सहायक वन संरक्षक
21	श्री व्ही. के. दुबे	सहायक वन संरक्षक
22	श्री दुर्गाप्रसाद शुक्ला	सहायक वन संरक्षक
23	श्री जी. आर. सिंह	वन क्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 जुलाई 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 7 अगस्त 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "राजस्व जिले" के अन्तर्गत, अनुक्रमांक (15) के पश्चात् अनुक्रमांक (16) हरदा तथा (17) मुरैना जोड़ा जाए.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Departments Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(1) dated 24th July, 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 7th August, 2009 namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification under heading "Revenue Districts", after serial number (15), serial numbers (16) Harda and (17) Morena shall be added.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 23 जून 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 9 जुलाई 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "राजस्व जिले" के अन्तर्गत, अनुक्रमांक (16) के पश्चात् अनुक्रमांक (17) अनूपपुर जोड़ा जाए.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Departments Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(1) dated 23rd June, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 9th July, 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification under heading "Revenue Districts", after serial number (16), serial number (17) Anuppur shall be added.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 नवम्बर 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20 नवम्बर 2009 को

प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "राजस्व जिले" के अन्तर्गत, अनुक्रमांक (8) के पश्चात् अनुक्रमांक (9) सिंगरौली जोड़ा जाए.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Departments Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(1) dated 7th November 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 20th Novermber 2009 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, under the heading "Revenue Districts", after serial number (8), serial number (9) Singrauli shall be added.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 23 जून 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 9 जुलाई 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "राजस्व जिले" के अन्तर्गत, अनुक्रमांक (12) के पश्चात् अनुक्रमांक (13) अलीराजपुर तथा (14) बुरहानपुर जोड़ा जाए.

F- No. 1-5-96-XXI-B (One) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B(1) dated 23rd June, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 9th July, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, under the heading "Revenue Districts", after serial number (12), serial numbers (13) Alirajpur and (14) Burhanpur shall be added.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2010

क्र. 17 (ई) 285-इक्कीस-ब(दो)-10.—राज्य शासन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जबलपुर (ऋण वसूली अधिकरण) के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को पैनल अधिवक्ता आदेश जारी होने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

(1) श्री भूषण अदलक, अधिवक्ता, जबलपुर

(2) श्री विवेक प्रकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जबलपुर

उपरोक्त अधिवक्ताओं को निम्नानुसार शुल्क एवं सेवा शर्त निर्धारित की जाती है:—

(1) शासन की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार) प्रति प्रकरण शुल्क तथा लिपिकीय खर्च अधिकतम रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) देय होगा.

(2) अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक का भुगतान तीन किश्तों से किया जायेगा. पहली किश्त जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् दूसरी किश्त साक्ष्य के पश्चात् एवं तीसरी किश्त अन्तिम निर्णय के पश्चात् भुगतान की जायेगी. लिपिकीय खर्च जवाबदावा प्रस्तुत करने के समय भुगतान किया जा सकेगा.

(3) प्रकरण एक पक्षीय हो जाने अथवा प्रकरण में समझौता हो जाने पर पारिश्रमिक की राशि 1/4 भुगतान की जावेगी.

(4) अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा.

(5) प्रशासकीय विभाग उपरोक्त अधिवक्ताओं में से किसी एक को विभाग की ओर से प्रकरण के पक्ष समर्थन हेतु निर्धारित शुल्क पर नियुक्त कर सकता है.

उपरोक्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. पूर्व का आदेश दिनांक 13-3-2000 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 25-57-2010-दस-तीन.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक 141-10-1-83, दिनांक 7 जनवरी 1983 एवं क्रमांक 110-X-1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 द्वारा गठित/पुनर्गठित सीहोर उत्पादन वनमंडल को आदेश जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है. उत्पादन वनमंडल सीहोर की समाप्ति के फलस्वरूप सीहोर जिले में उत्पादन से संबंधित समस्त कार्य सीहोर सामान्य वनमंडल सीहोर द्वारा संपादित किया जावेगा. उत्पादन वनमंडल सीहोर में सम्मिलित उप वनमंडल एवं परिक्षेत्र यथावत् सीहोर सामान्य वनमंडल सीहोर के अन्तर्गत सम्मिलित रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. एफ. 25-57-2010-दस-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 25-57-2010-दस-तीन, दिनांक 1 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 1st December 2010

No.F. 25-57-2010-X-3.—The Sehore Porduction division constituted/re-orgainsed *vide* Madhya Pradesh Forest Department order No.141-10-1-83, dated 7th January 1983 and No.110/x-1/6/1/83,, dated 6th January 1983 is here by abolished with effect from the dated of issue of order. Consequent to the abolition of Sehore Porduction division the work of production division in the Sehore district will be carried out by the Sehore territorial division. The sub divisions and ranges of Sehore Porduction division will work separately under the control of Sehore territorial division Sehore.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—शहडोल, मध्यप्रदेश

क्रमांक-दस-भू-अर्जन-2007-फा 354 शहडोल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

करार-पत्र

यह करार-पत्र आज दिनांक 25 अक्टूबर 2010, को प्रथम पक्ष कलेक्टर, शहडोल के मार्फत् कार्य करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग से वैसा अनुमत हो, उसके पद के उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक पब्लिक, लिमिटेड कंपनी है तथा जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तृतीय तल, मेकर चेम्बर्स IV, 222 नरिमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400021 (महाराष्ट्र) में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी है, जिस अभिव्यक्ति में जहां कि प्रसंग से अनुमत हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत अभिहस्तांतरित सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है एवं परियोजना कार्यालय बुढ़ार बाय पास रोड व जय माता दी पेट्रोल पंप के पास बलपुरवा, शहडोल में स्थित है.

और चूंकि कंपनी ने जिला शहडोल तहसील-सोहागपुर के ग्राम सोनवर्षा में स्थित भूमि को जिसके खसरा क्रमांक संलग्न सूची अनुसार कुल खसरा नम्बर 12 हैं कुल रकबा 4.980 हे. है, (जिसे इसमें संलग्न की गई सूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है तथा अधिक स्पष्टतः दृष्टि से इसमें उपाबद्ध मानचित्र पर अंकित किया गया है और उसमें सुर्खी से बतलाया है इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की स्थापना के प्रयोजन हेतु अधिग्रहित भूमि एवं उसके सहायक अन्य कार्यों के जिन्हें

इसमें इसके पश्चात् उक्त मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से निर्दिष्ट किया गया, निर्माण तथा स्थापना के लिये लैण्ड रिक्वीजिशन एक्ट, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त एक्ट के नाम से निर्दिष्ट है) के उपबंधों के अधीन अर्जित करने राज्यपाल से प्रार्थना की है,

और चूंकि, राज्यपाल का उक्त एक्ट के उपबंधों के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक इकाई ग्राम सोनवर्षा जिसके लोकोपयोगी सिद्ध होने की संभावना है, के निर्माण तथा स्थापना के लिये प्रस्तावित अर्जन आवश्यक है. अतः वे उक्त भूमि के अर्जन के लिये रजामन्द हो गये हैं. म. प्र. शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-3-05-सात-2 ए, दिनांक 22 मई 2006 के शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है.

और चूंकि राज्यपाल ने कंपनी को उक्त एक्ट की धारा 41 के अधीन इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबन्धनों तथा शर्तों पर राज्यपाल के साथ करार करने के लिये अपेक्षित है.

अतएव, यह करार निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि:—

(1) कंपनी राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि राज्यपाल इस संबंध में नियुक्त करें ऐसी समस्त राशियां चुकाएगी जो कि राज्यपाल को उक्त भूमि का अर्जन करने में प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों के कारण खर्च करना पड़े, वह धन जो कंपनी द्वारा इस खण्ड के अधीन देय होगा और तत्पश्चात् ऐसी और रकम या रकमों की जिसके कि जिसमें/जिनके संबंध में कलेक्टर यह अनुमान करें कि वह/वे समय-समय पर प्रतिकार या अर्जन से प्रासंगिक अन्य प्रभारों को चुकाने के प्रयोजन के लिये अपेक्षित होगी/होंगी, कलेक्टर को, उसके द्वारा लिखित में मांग किये जाने के पश्चात् 14 दिन के भीतर देनगी करने चुकाया जायेगा, यदि कंपनी ऊपर निर्दिष्ट किये गये अनुसार अर्जन के सम्पूर्ण खर्च या उसके किसी भाग के पूर्ववत् कालावधि के भीतर राज्यपाल को न चुकाये तो राज्यपाल उस कंपनी से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने के लिये हकदार होगा, परन्तु उस खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का शासन के अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(2) ऊपर के खण्ड (1) के अधीन देय समस्त धन की देनगी होने पर राज्यपाल उक्त भूमि कंपनी को अन्तरित करेंगे और तदुपरान्त कंपनी ऐसे राजस्व तथा अन्य प्रभारों को, जो कि समय-समय पर निश्चित किये जायें, चुकाने के अपने दायित्वों के अधीन रहते हुये तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उक्त भूमि को धारण करेगी, अर्थात्:—

(1) अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

(2) भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

(3) भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

(4) कंपनी (इस आश्य की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंपनी में आदर्श पुनर्वास नीति में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देगी, परन्तु उपरोक्त शर्त में संशोधन करते हुये मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-3-05-2-2ए-दिनांक 2 अप्रैल 2007 के अनुसार यदि भू-अर्जन एवं अधिग्रहण के दौरान किसी प्रकार का वास्तविक विस्थापन होता है तो विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास आर्दश पुनर्वास नीति के अंतर्गत किया जावेगा. वास्तविक विस्थापन न होने की दशा में कंडिका क्रमांक 4 प्रभावहीन रहेगी.

(5) यदि कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44 ए).

(6) यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

(7) भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे, भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौंड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

(8) शासन को पूर्वानुमति के बिना भूमि के स्वरूप को बदला नहीं जाएगा.

(9) पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

(10) प्रदूषण नहीं किया जायेगा, इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, कि पर्यावरण, जल स्त्रोत व वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

(11) भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

(12) यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है तो या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को उसका मुआवजा देय नहीं होगा.

(13) भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

(14) भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

(15) शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

(16) माननीय सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कृषक के भूमि संबंधी वाद पर अतिरिक्त राशि भुगतान के आदेश होने पर कंपनी उपरोक्त राशि प्रदान करने को बाध्य रहेगी.

अनुसूची

मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश को सी.बी.एम. प्रोजेक्ट हेतु ग्राम-सोनवर्षा प.ह.नं.-102, रा.नि.म.-बुढ़ार, तहसील-सोहागपुर जिला शहडोल की भूमि के भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कृषक सर्वे क्रमांक एवं रकबा:—

क्र.	खसरा क्र.	भू-स्वामी का नाम	कुल क्षेत्रफल	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	अर्जित भूमि का भू-राजस्व	जाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	304/2	सुखलाल पिता पवेलिया	0.466	0.466	0.37	लोनी-पि. वर्ग
2	304/3	सुखलाल पिता पवेलिया	0.433	0.433	0.25	लोनी-पि. वर्ग
3	306	दिनिया लमसरी पिता निरूवा कोल.	0.486	0.486	0.40	बैगा-आदिवासी
4	295/5	रामशरण, दुद्दू पिता रम्मू	0.607	0.607	0.38	बैगा-आदिवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	307	छोटे पिता सहना	0.708	0.708	0.40	गौंड-आदिवासी
6	226/2	चुगला पिता ददानी	0.242	0.242	0.37	अहीर-पि. वर्ग
7	226/3	रामजियावन पिता बल्बू	0.405	0.405	0.25	अहीर-पि. वर्ग
8	280/2	पूरन पिता पोखन	0.101	0.101	0.06	अहीर-पि. वर्ग
9	281/2	बिदेही पिता दद्दी	0.607	0.607	0.37	लोनी-पि. वर्ग
10	281/3	मोहन पिता गोजे	0.534	0.534	0.60	लोनी-पि. वर्ग
11	290	छोटे पिता सहना रामनिवास पिता लक्ष्मी प्रसाद रामसुन्दर, बद्री प्रसाद पिता बुधऊराम, लल्लीबाई पति स्व. रामकुमार, अशीश कुमार पिता स्व. रामकुमार, शम्भू	0.138	0.138	0.38	गौंड-आदिवासी
12	278/1	राजकुमार पिता स्व. शिवकुमार	0.253	0.253	0.75	सामान्य
		योग . .	4.980	4.980	4.58	

इसके साक्ष्य में करार के पक्षों ने इस करार पर उस दिनांक तथा वर्ष को जो क्रमशः उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सम्मुख अंकित है, अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

दिनांक 25 अक्टूबर 2010

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नीरज दुबे)
कलेक्टर, जिला शहडोल एवं पदेन
उपसचिव.

साक्षीगण :

हस्ताक्षर
(1) बी. एल. साकेत
डिप्टी कलेक्टर, शहडोल, म. प्र.

हस्ताक्षर
(2) बी. के. पाण्डे
अनुविभागीय अधिकारी
सोहागपुर, जिला-शहडोल, म. प्र.

कृते-मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ताक्षर
(3) शकील कुरैशी
कार्पोरेट अफेयर्स
रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल (म. प्र).

हस्ताक्षर
(प्रमोद कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबंधक
रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सी.बी.एम. प्रोजेक्ट
शहडोल (म. प्र).

हस्ताक्षर
(4) रवि सिंह
विधिक समन्वयक,
रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, शहडोल (म. प्र).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—खरगोन

क्रमांक-1823-भू-अर्जन-10 खरगोन, दिनांक 19 नवम्बर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 42-अ-82-09-10

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कंपनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 19 नवम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

(1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम सेजगांव प. ह.नं. 25, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 02 कुल क्षेत्रफल 0.729 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.-1359-09 दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ. आर. एल. के अन्तर्गत ग्राम सेजगांव

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बसंत, गोविन्द, चंपालाल, यशवंत पिता लक्ष्मण जाट नि. खेड़ी	104	0.664	नीम-1, कुआं नदी में बना है इसी कुएं से सिंचाई.
	बसंतीबाई बेवा घीसालाल, अमरसिंह	106/1/2		
2	कमलसिंह, मुकेश पिता घीसालाल, राजूबाई पिता घीसालाल गुजर सा. देह.	106/2	0.065	बबूल-1, स्वयं के कुएं से सिंचाई.
	योग . .		0.729	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-9-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 3 जून 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

(क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कंपनी को प्रदान करेंगा.

(I) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम सेजगांव की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर जिला खरगोन के ग्राम सेजगांव की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.729 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत्-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
3. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.
4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नही होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नही की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **मथुरालाल मण्डलोई**
पता : 219 पुष्प कुंज बजरंग
नगर जेतापुर (खरगोन)

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **गोपाल यादव**
पता : रुद्रेश्वर कालोनी
बिस्टान रोड नाका
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्रमांक 846-251-5अ-एस.सी.-2-10.—एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सतना जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, अमरपाटन के प्रस्तावित प्रतिनिधि हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र. (1)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता (2)	प्राप्त प्रस्ताव (3)	पद जिसके लिये नामनिर्दिष्ट किये गये (4)
1	श्री बृजभूषण मिश्रा, एडवोकेट, अमरपाटन	मान. विधायक विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन.	प्रतिनिधि कृषि उपज मंडी अमरपाटन

सुखवीर सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला—मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 के खण्ड-एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां म. प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (4) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ. 2 (क)/09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 19 नवम्बर 2010 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड-एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक 1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक-2 में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:—

राजस्व ग्राम का नाम स्तम्भ क्रमांक-1 (1)	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तम्भ क्रमांक-2 (2)	थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया स्तम्भ क्रमांक-3 (3)
1. धुधडका	थाना भावगढ़ (चौकी दलौदा)	थाना अफजलपुर

दिनांक 22 नवम्बर 2010

महेन्द्र ज्ञानी, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव (गृह).

राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2009-599.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	बड़ोद	कछालिया कण्डारी सियाखेडी	4.56 0.43 1.95	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपखंड आगर, जिला शाजापुर.	कछालिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु आवश्यक भूमि बावत.
		योग . .	6.94		

नोट.— भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आगर-बड़ोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्र. क्र. अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में			के द्वारा प्राधिकृत	का वर्णन
			ख. नं.	रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा	अधिकारी	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	खनपुरा	1/1	2.116	2.116	उद्योग विभाग	औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप फेस-3 विकसित करने हेतु.
			6/1/1	0.607	0.607		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			6/1/2	0.607		
			6/1/3	2.339		
			8/1	0.074		
			10/1	0.061		
			10/2	0.101		
			11/1	0.247		
			12	0.283		
			13/1/1	1.557		
			13/1/2	0.094		
			13/2	0.400		
			14	0.105		
			15/1	0.053		
			15/2	0.056		
			16	0.263		
			17	0.263		
			18/1	0.089		
			18/2	0.089		
			19	0.304		
			20/1	0.182		
			20/2	0.182		
			21/1	0.182		
			21/2	0.182		
			22	0.316		
			23	0.219		
			24	0.902		
			26/1	1.214		
			26/2	3.678		
			26/3	3.678		
			26/4	3.683		
			27/1	0.802		
			28	1.619		
			29	1.590		
			30/1/1	0.538		
			30/1/2	0.538		
			30/2	2.133		
			31	3.209		
			32/1	2.023		
			32/2/1	2.832		
			32/2/2	0.932		
			33	4.565		
			35	0.348		
			36/1	0.247		
			36/2	0.121		
			37/1	0.113		
			37/2	0.114		
			123/1	4.047		
			123/2	1.619		
			123/3/1/1/1	0.938		
			123/3/1/1/2	1.214		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			123/3/1/2	0.405	0.405	
			122	0.882	0.882	
			121/1/1/1	1.821	1.821	
			121/1/1/2	3.569	3.569	
			121/1/3/2	1.416	1.416	
			121/2/1	0.809	0.809	
			121/2/2/1	0.202	0.202	
			121/2/2/2	0.607	0.607	
			96	0.247	0.247	
			97	0.231	0.231	
			98	0.283	0.283	
			99	0.368	0.368	
			91	0.162	0.162	
			100	0.425	0.425	
			101	0.255	0.255	
			102/1	0.809	0.809	
			102/2	0.809	0.809	
			102/3	0.805	0.805	
			103/1	3.015	3.015	
			120/1/2	2.225	2.225	
			120/2/2	1.923	1.923	
			124/1	3.124	3.124	
			124/2	3.121	3.121	
			125/1/1	2.023	2.023	
			125/1/2/2	1.214	1.214	
			125/1/1/2/1	1.214	1.214	
			125/1/2/3/2	1.214	1.214	
			125/1/2/3/3	0.809	0.809	
			125/1/2/3/4	0.471	0.471	
			125/2	1.214	1.214	
			126	2.485	2.485	
			127	2.485	2.485	
			128/2/1	4.432	4.432	
			128/2/2	3.707	3.707	
			129/2	0.951	0.951	
			132/2	0.494	0.494	
			119/1/2	1.631	1.631	
			119/2/1	1.635	1.635	
			कुल योग . .	107.160	107.160	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. 558-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	टटिहरा हनुमना	40.876 कृषक भूमि निल शासन भूमि कुल . . 40.876	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म .प्र.)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है जूड़ा बांध योजना.

(2) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 569-भू-अर्जन-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बुढ़वा	0.218	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु संभाग रीवा (म. प्र.).	मनिगवां-बुढ़वा मार्ग के कि.मी. 2/4 पर सेंगरी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) मनिगवां-बुढ़वा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर सेंगरी नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

रीवा, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 575-भू-अर्जन-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभवना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	उपरवार	0.088	अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (म. प्र.).	सड़क (रास्ता) निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 15632-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	कुराड़िया	0.997	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार.	फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों में पेजयल प्रदाय योजनान्तर्गत जल शुद्धिकरण संयंत्र निर्माण से प्रभावित होने से.
		योग . .	0.997		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, धार तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 24 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 4-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	मढावन	1.848 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण माईनर-1.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	बनेटा	5.027 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण माईनर-1.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	शाहगंज	7.953 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण माईनर-1 एवं 2.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	पनारी	2.200 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण माईनर-1.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	सूडोन	4.862 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण माईनर-2.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	उकई	0.616 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण माईनर-2.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	डुंगरिया	3.014 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण डुंगरिया-नीमटोन माईनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाना नं. (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुदनी	नीमटोन	1.232 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहरों का निर्माण डुंगरिया-नीमटोन माईनर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम सिंचाई योजना के तहत लघु नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

रा. मा. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2010-11-पत्र क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	सीहोरा प.ह. नं. 134/76 नं.बं. 444	2.023	सचिव, कृषि उपज समिति, तेन्दूखेड़ा.	उप मण्डी निर्माण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. 24-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	चंद्रपुरा	26.290 हेक्टेयर	जिलाधिकारी, छतरपुर	ललितपुर-खजुराहो, नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 25-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	कदारी	11.169	जिलाधिकारी, छतरपुर	ललितपुर-खजुराहो, नई बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 29 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10-788.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	रामनगर	सर्वे नम्बर	रकबा हेक्टर में	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, गुना.	रामनगर-सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
			420 मिन-1 में से	0.230		
			421/1/ख में से	0.209		
			422 में से	0.094		
			423 में से	0.073		
			425 में से	0.147		
			449 में से	0.084		
			450 में से	0.042		
			557/1 में से	0.105		
			557/2 में से	0.104		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			557/3/1 में से	0.105		
			560 में से	0.146		
			561/1 में से	0.052		
			561/2 में से	0.052		
			578 में से	0.157		
			580 में से	0.021		
			581/1 में से	0.188		
			योग कुल . .	1.809		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2009-10-790.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	सावतखेड़ी	सर्वे नम्बर	रकबा हेक्टर में	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, गुना.	रामनगर-सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
			21	0.157		
			23/1	0.052		
			27/1	0.042		
			28/1	0.031		
			28/5	0.251		
			29	0.105		
			86/1	0.575		
			86/4	0.209		
			221/1	0.418		
			221/मिन-2	0.167		
			222/2	0.157		
			223	0.063		
			227	0.063		
			228	0.167		
			योग कुल . .	2.457		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2009-10-792.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
गुना	राघौगढ़	राजपुरा	31	0.167	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, गुना.	रामनगर-सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
			32/1/मिन-1	0.011		
			32/1/मिन-3	0.094		
			33/1/मिन-1	0.073		
			33/1/मिन-2	0.209		
			33/2	0.178		
			33/3	0.084		
			35	0.105		
			37	0.010		
			38	0.251		
			40/8	0.147		
			45/2	0.084		
			48/1	0.147		
			48/2	0.157		
			96/2	0.032		
			97/3	0.052		
			99	0.105		
			100/1	0.042		
			101/2/2	0.031		
			101/2/3	0.031		
			105/2/1/1	0.052		
			105/2/1/2	0.052		
			107/1	0.094		
			107/2	0.230		
			108	0.031		
			109/1	0.042		
			109/2	0.031		
			110/1	0.136		
			110/2	0.042		
			112	0.063		
			115	0.073		
			117	0.042		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			119	0.147		
			129/2	0.010		
			129/3/1	0.010		
			129/3/2	0.010		
			130	0.115		
			132/1	0.366		
			132/2	0.177		
			योग कुल . .	3.733		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2009-10-794.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	पीलाघाटा	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, गुना.	रामनगर-सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
			2/2	0.251		
			4/1	0.271		
			4/2	0.188		
			13	0.157		
			14	0.052		
			18/2/1	0.261		
			18/4	0.209		
			23	0.314		
			24/1	0.136		
			39	0.042		
			योग कुल . .	1.881		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2009-10-796.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	रामपुरा	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, गुना.	रामनगर-सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
			32	0.063		
			34/2/1, 34/2/3	0.261		
			161	0.115		
			163	0.042		
			योग कुल . .	0.481		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2009-10-798.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	हरीपुर	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग, गुना.	रामनगर-सागर व्हाया पीलाघाटा सड़क निर्माण.
			2	0.157		
			3	0.094		
			24	0.125		
			25	0.167		
			27 मिन-1	0.292		
			27 मिन-3	0.042		
			27 मिन-4	0.042		
			28	0.042		
			योग कुल . .	0.961		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10-800.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम (3)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
गुना	राघौगढ़	सागर	67	0.189	–	रामनगर-सागर व्हाया पीलाघाट सडक निर्माण.
			91	0.042		
			94/1	0.014		
			94/2	0.014		
			94/3	0.014		
			107/1 मिन	0.177		
			108/1 मिन	0.125		
			114/1	0.021		
			119/1	0.052		
			119/2	0.030		
			119/3/2	0.030		
			121/1 मिन	0.021		
			121/1 मिन	0.010		
			121/1 मिन	0.010		
			121/2/1	0.021		
			121/2/2	0.020		
			121/3	0.073		
			123 मिन 1	0.135		
			124 मिन	0.157		
			125	0.042		
			147	0.052		
			148	0.042		
			149/3	0.053		
			150	0.053		
			151/1	0.031		
			151/2	0.031		
			151/3	0.031		
			163/2	0.031		
			164/1	0.062		
			164/2	0.052		
			165	0.272		
			167	0.199		
			योग कुल . .	2.106		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. 10054-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-ककई ब. नं.-36 प.ह.नं.-32 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा-1	246.728 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग क्रमांक-4, चौरई के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10055-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हिवरखेडी ब. नं.-316 प.ह.नं.-01 रा.नि.मं.-चौरई	110.328 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10057-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-कलकोटी ब. नं.-119 प.ह.नं.-02 रा.नि.मं.-चौरई	72.682 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10058-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-जमुनिया ब. नं.-191 प.ह.नं.-28 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा-1	36.761 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10059-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबन्ध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-देवरीकला ब. नं.-133 प.ह.नं.-02 रा.नि.मं.-चौरई	68.365 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में किया जा सकता है.

छिंदवाड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

क्र. 10118-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-निमकुही ब. नं.-301 प.ह.नं.-04 रा.नि.मं.-उमरेठ	14.062 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	डोंगरखापा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10119-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-डोंगरखापामाल ब. नं.-224 प.ह.नं.-04 रा.नि.मं.-उमरेठ	03.520 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	डोंगरखापा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 10120-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जान वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-डोंगरखापा-रैयतवाड़ी, ब. नं.-21 प.ह.नं.-04 रा.नि.मं.-उमरेठ	06.880 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां)	कार्यपालन यंत्री कन्हरगांव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	डोंगरखापा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उपसंभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 29 नवम्बर 2010

सार्वजनिक सूचना

क्र. 2515-भू-अर्जन-10.—सर्व साधारण एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि शासन पावर लिमिटेड की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के लिये कोयला आपूर्ति हेतु मुहेर कोल ब्लाक से मुख्य पावर प्लांट ग्राम-सिद्धीखुर्द तक एम. जी. आर. (कोल कनवेयर) निर्माण से प्रभावित ग्राम-अमलोरी, पटवारी हल्का अमलोरी नं. 14, तहसील-सिंगरौली, जिला सिंगरौली के अन्तर्गत स्थित निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 3 एवं 4 में दिया गया है, का अर्जन करने के लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (अत्र पश्चात् अधिनियम) की धारा 6 के अन्तर्गत इस कार्यालय की उद्घोषणा क्रमांक 920-भू-अर्जन-2010, दिनांक 11 मई 2010 प्रसारित की गई थी, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 21 मई 2010 के अंक में पृष्ठ क्रमांक 1116 पर किया गया था.

चूंकि, अब राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अतः

अधिनियम की धारा 48 सहपठित धारा 6 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि किता 37, रकबा 1.329 हे. को अर्जन से विमुक्त किया जाता है :—

अनुसूची

ग्राम—अमलोरी, पटवारी हल्का—अमलोरी, नं. 14, तहसील—सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा नं.	राजपत्र में प्रकाशित रकबा, जिसे अर्जन से अवमुक्त किया गया	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अमलोरी	426/1 जुज	0.060	
		426/2 जुज	0.060	
		432/1क जुज	0.070	
		432/2क जुज	0.070	
		432/2ख जुज	0.070	
		499/2 जुज	0.100	
		517/2क जुज	0.050	
		517/2ख जुज	0.050	
		518 जुज	0.060	
		520/2 जुज	0.060	
		521/1च जुज	0.030	
		521/2क जुज	0.030	
		522 जुज	0.010	
		530 जुज	0.040	
		531 जुज	0.030	
		532 जुज	0.030	
		534/1 जुज	0.040	
		536/3	0.011	
		536/5	0.010	
		537/1 जुज	0.020	
		538/2 जुज	0.020	
		539/1ग जुज	0.020	
		542/1 जुज	0.020	
		543/1 जुज	0.020	
		543/5	0.021	
		544/2 जुज	0.010	
		544/5	0.011	
		545/1 जुज	0.010	
		545/2 जुज	0.010	
		545/5	0.016	
		546/1च जुज	0.020	
		546/1छ जुज	0.020	
		546/2क	0.010	
		546/5 जुज	0.040	
		560/3ख	0.036	
		560/5क जुज	0.060	
		560/5ख जुज	0.084	
		कुल रकबा :	1.329 हे.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र.-भू-अर्जन-2010-632.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद क्रमांक (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ोद

भूमि सर्वे नं.	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—कछालिया (निजी भूमि)	
16/1/1	2.09
16/2	0.50
16/3	0.50
19/1	1.04
19/2	1.05
20	0.74
योग :	5.82
ग्राम—कण्डारी (निजी भूमि)	
68/1	0.16
68/2	0.16
69	0.32
योग :	0.64
ग्राम—ऊँचवास (निजी भूमि)	
निरंक	निरंक
योग :	निरंक

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछालिया तालाब योजना के निर्माण हेतु बांध क्षेत्र, डूब क्षेत्र एवं स्पील चेनल में संपादित होने वाली भूमि बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला शाजापुर के कार्यालय में व भू-अर्जन अधिकारी, आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 11304-प्र.भू.-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—बिंदवास
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.58 हेक्टेयर

खसरा नं. (में से)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
439	0.35
437	0.27
604	0.05
605	0.07
606	0.04
607	0.02
628	0.13

(1)	(2)
632	0.03
633/1	0.11
633/2	0.12
736	0.19
735	0.20
योग :	1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सूखा नाला जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11309-प्र.भू.-अर्जन-अ-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—पगारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.106 हेक्टेयर.

खसरा नं. (में से) (1)	अर्जित रकबा (हे. में.) (2)
74	0.060
75	0.090
121	0.166
129/1	0.102
129/2	0.120
131	0.114
134	0.138
135/1	0.105
136	0.108
207	0.066
209	0.114
210	0.114
211	0.090
218	0.066
219	0.660
248/2	0.002
352/1	0.054
354	0.030
355	0.048
356	0.150
348	0.162
347	0.012
371/1	0.090
371/2	0.036
371/3	0.036
273/1	0.084
373/2	0.060
376	0.210
377	0.018
378	0.001
योग :	3.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—पगारा जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. 11587-प्र.भू.-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—खांड
(घ) लगभग क्षेत्रफल —25.99 हेक्टेयर

खसरा नं. (में से) (1)	अर्जित रकबा (हे. में.) (2)
478	0.20
480	0.12
495	0.16
496/1	0.40
496/2	0.58
497/1	0.50
497/2	0.51
498	1.80
501	0.24
502/1	2.90
502/2	0.88
502/3	0.89
504/1	0.92
504/2	0.81
505	1.28
505/549	0.30
508	0.18
509	0.25
510/1	0.90
510/2	1.00
510/3	2.00
510/4	1.08
510/5	1.09
510/6	1.09
510/7	0.25
510/8	0.22
510/9	0.55
524/1	0.20
524/2	2.01
525	0.66
531	1.25
532/1	0.20
532/2	0.17
532/3	0.10
533	0.15
534	0.10
535	0.05
योग :	25.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सेखपुर जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11591-प्र.भू.-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—खांड
(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.452 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में.) (2)
7	0.005
15	0.01
20	0.04
22	0.18
23	0.05
33	0.16
34	0.20
41	0.05
42	0.05
43	0.03
44	0.18
46	0.40
48/1	0.02
48/2	0.02
48/3	0.02
50	0.03
51	0.04
52	0.04
53	0.06
56	0.001
57	0.13
58	0.01
59	0.11
140	0.08
141	0.21

(1)	(2)
142	0.012
145	0.18
150	0.23
159/1	0.025
159/2	0.025
159/3	0.025
159/4	0.025
159/5	0.025
159/6	0.025
159/7	0.025
159/8	0.025
160/3	0.11
160/5	0.15
170/1	0.08
170/2	0.18
170/4	0.10
170/5	0.08
174	0.05
175	0.15
178	0.15
179	0.08
182/1	0.02
182/2	0.02
203	0.12
204	0.09
205	0.03
217	0.09
220	0.015
223	0.01
224	0.06
226	0.015
227	0.07
228/1	0.03
228/2	0.03
228/3	0.03
228/4	0.03
229/1	0.03
229/2	0.03
231	0.02
232	0.07
238	0.19
335/1	0.015
335/2	0.015
335/3	0.015
335/4	0.015
335/5	0.015
335/6	0.015
336/1	0.025
336/2	0.025
338/1	0.02
338/2	0.02
345/1	0.025
345/2	0.025
346/1	0.03
346/2	0.03
415/1	0.06
415/2	0.06
417	0.13
419	0.03
420/1	0.04
420/2	0.04
422	0.20
423	0.02
425	0.08
427/1	0.012
427/2	0.012
428	0.08
429	0.01
488	0.06
489	0.04
494/1	0.09
494/2	0.09
495	0.02
496/2	0.08
498	0.03
योग	: 6.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सेखपुर जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11592-प्र.भू.-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—हीरापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.36 हेक्टेयर

खसरा नं. (में से) (1)	अर्जित रकबा (हे. में.) (2)
37	0.10
52	0.05
54	0.56
55	0.29
56	0.04
92/2	0.02
99	0.05
101	0.01
102/2	0.21
103	0.13
113/2	0.45
114	0.02
125	0.15
126/2	0.02
138	0.29
233	0.16
235	0.03
239	0.35
241	0.05
260	0.13
261	0.10
263	0.15
265	0.13
266	0.13
436	0.10
437	0.10
801	0.03
804/1	0.30
	योग : 4.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सूखा नाला जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11593-प्र.भू.-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—बेलईमाफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.77 हेक्टेयर

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में.) (2)
108	0.17
109	0.30
115	0.25
136	0.08
141/1	0.03
141/2	0.09
142	0.08
145	0.02
146	0.05
149	0.084
150	0.17
155	0.078
156	0.084
162	0.012
164	0.13
165	0.01
166	0.132
	योग : 1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.—सेखपुर जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 1818-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 566-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 10 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—मलगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.156 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा क्रमांक (1)	डूब का रकबा (हेक्टर में) (2)	विवरण (3)
5/1	0.020	मकान-1, नीबू-1
5/2	0.016	मकान-1
5/3	0.020	मकान-4
7	0.032	इमली-3, बेर-2, नीम-3
8/1	0.020	टीन शेड-1, बेर-1
8/2	0.040	इमली-1. नीम-1
9	0.008	मकान-1
योग :	0.156	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म. प्र. रा. वि. मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1819-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 566-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 10 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—तेल्यांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.796 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा क्रमांक (1)	डूब का रकबा (हेक्टर में) (2)	विवरण (3)
24	0.243	-
25/3	2.023	नीम-5
28/1	2.023	नीम-15
30	1.667	नीम-1, नीम पौधा-4
33/1/2	0.360	नीम-2
46	0.004	-
48	0.049	आम-1
49	0.024	आम-1
50	0.024	आम-2
79/1	2.023	नीम-5
81/1	1.214	-
86/3	0.162	-
90/5	0.350	आम-1, नीम-2
91/2	0.630	आम-1, नीम-1
योग :	10.796	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म. प्र. रा. वि. मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1820-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 556-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 5 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—लालपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.720 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा क्रमांक	डूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
5	0.202	आम-1, नीम-1
9/3	0.050	नीम-2
10	0.274	नीम-4, गोंदी-1
12	0.004	नीम-1
19/4	0.049	नर्मदा पाईपलाईन-1, बबूल-1
19/6	0.061	कवीट-1, बबूल-1
21/2	0.080	नीम-4
योग :	0.720	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म. प्र. रा. वि. मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1821-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 556-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 5 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम का नाम—नांदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.770 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा क्रमांक	डूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
6	0.709	नीम-1, कुआ-1
25	0.061	ट्यूबवेल-1
योग :	0.770	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म. प्र. रा. वि. मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1822-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 605-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम का नाम—खेंड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.689 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां

खसरा क्रमांक	डूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
36	0.060	नीम-2
104	0.005	नीम-1, बबूल-1
107/1	0.020	मकान कच्चा-1
107/2	0.020	–
108	0.049	मकान-1
111/2/2	0.020	–
111/2/1	0.020	–
113/1	0.101	–
113/2	0.304	नीम-2, ट्यूबवेल अनुपयोगी.
114	0.090	
योग :	0.689	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म. प्र. रा. वि. मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 22 नवम्बर 2010

क्र.-2692-भू. अ. अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा
(ग) ग्राम —पिण्डरई पांजी, 4. प. ह. नं. 7
(घ) क्षेत्रफल—0.90 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम-पिण्डरई पांजी	
159 में से	0.05
189 में से	0.03
270 में से	0.06
237 में से	0.02
206 में से	0.04
268 में से	0.05
250 में से	0.02
236/2 में से	0.02
233 में से	0.09
211 में से	0.08
209 में से	0.03
238 में से	0.02
271 में से	0.15
249 में से	0.01
251 में से	0.05
234 में से	0.05
236/1 में से	0.02
269 में से	0.02
191 में से	0.06
194 में से	0.01
205 में से	0.02
योग :	0.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन (अजीतपुर खमरिया पहुंच मार्ग) के लिये भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तेंदूखेड़ा तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र.-567-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा "6" के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम —बुढ़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.218 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
135	0.016
139	0.202
योग :	0.218

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—मनिगवां-बुढ़वा मार्ग के कि. मी. 2/4 में सेंगरी नदी पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 26 नवम्बर 2010

प. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2009-10-8984.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—घोड़ाडोंगरी
(ग) नगर/ग्राम—घोड़ाडोंगरी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—45
(ङ) लगभग क्षेत्रफल —0.870 हेक्टेयर

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
490	0.770
491	0.100
योग :	0.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—2×250 मेगावाट यूनिट क्रमांक 10 एवं 11 ईकाइयों के अन्तर्गत घोड़ाडोंगरी निजी रेल्वे यार्ड के विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अति. अधीक्षण यंत्री, सिविल म. प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लि. सारणी के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनन्द कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—लक्ष्मीपुर, प. ह. नं. 25/31 नं. ब. 643
ग्राम कछपुरा नं. ब. 501 प. ह. नं. 25/31
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.561 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम लक्ष्मीपुर	
12/1	0.735
13	0.396
योग . .	1.131
ग्राम कछपुरा	
111/1	0.097
112	0.095
113	0.238
योग . .	0.430
महायोग . .	1.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. एम. आर.-4 एकता नगर से मेडिकल धनवंतरी नगर को जोड़ने वाली प्रस्तावित एम. आर.-4 सड़क हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—माढोताल, प. ह. नं. 25/31 नं. ब. 660
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.074 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
165/15 में से	0.074
165/16	
165/17	
165/18	
165/19	
165/20	
योग . .	0.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल रोड में 40 फीट चौड़ी सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—जबलपुर
(ग) ग्राम—माढोताल, प. ह. नं. 25/31 नं. ब. 660
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.15 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
181/10 में से	1.15
योग . .	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बस टर्मिनल क्षेत्र के अन्तर्गत निजि भूमि के अर्जन बाबत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2010

क्र. 1325-भू-अर्जन-कार्य-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—करही कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.654 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में.)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
416	1.207	—
417	0.095	—
418	0.397	—
419	0.199	—
428	0.793	—
423	0.157	—
424	0.437	—
425	0.213	—
426	0.037	—
427	0.014	—
436	0.113	—
437	0.003	—
438	0.339	—
440	0.031	—
439	0.274	—
441	0.282	—
443	0.054	—
444	0.219	—
445	0.015	—
446	0.016	—
145	0.223	—
146	0.161	—
144	0.154	—
147	0.154	—
148	0.086	—
149	0.298	—
150	0.138	—
151	0.121	—
155	0.094	—
156	0.024	—
157	0.169	—
158	0.077	—
159	0.113	—
160	0.052	—
161	0.077	—
162	0.021	—
163	0.002	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरिका नहर के विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1327-भू-अर्जन-कार्य-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—विहरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.634 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में.)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
70	—	0.020
71	—	0.063
72	0.267	—
73	0.869	—
74	0.320	—
75	0.047	—
76	0.035	—
77	0.223	—
78	0.073	—
79	0.056	—
80	0.099	—
81	0.035	—
82	0.028	—
83	0.271	—
84	0.346	—
94	0.025	—
95	0.113	—
96	0.121	—
93	0.022	—
92	0.131	—
97	0.189	—
98	0.300	—
100	1.207	—
104	0.092	—
103	0.373	—
102	0.183	—
105	0.251	—
106	—	0.353
185	0.219	—
184	0.088	—
186	0.063	
187	0.127	
188	0.486	
189	0.188	
181	0.129	
191	0.376	
192	0.514	
194	0.280	
179	0.144	
195	0.301	
196	0.200	
197	0.094	
198	0.207	
199	0.080	
200	0.190	
201	—	0.118
567	0.306	
573	0.141	0.028
519	0.125	
572	0.125	
516	0.231	
517	0.024	
510	0.024	
511	0.247	
509	0.171	
511/2	0.019	
508	0.341	
498	0.107	
508/2	0.117	
496	0.157	
500	0.078	
501	0.019	
502	0.025	
503	0.056	
504	0.031	
505	0.032	
1744	0.047	
506	0.045	
490	0.125	
487	0.059	
488	0.401	
486	0.094	
485	0.006	
484	0.529	
483	0.188	

(1)	(2)	(3)
432	0.188	
465	0.833	
463	0.141	
462	0.141	
489	0.235	
1777	0.470	
1780	0.047	
1779	0.941	
1778	0.035	
1753	0.040	
1750	1.082	
1742	0.023	
1743	0.361	
1747	0.304	
1745	1.059	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरिका नहर के विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1329-भू-अर्जन-कार्य-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—टिकुरी पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.350 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में.)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
44	0.047	—
46	0.047	
42	0.031	—
37	0.133	
43	0.024	
36	0.069	
35	0.314	
34	0.063	
33	0.094	
32	0.329	
31	0.399	
24	0.455	
22	0.019	
25	0.584	
12	0.240	
9	0.024	
10	0.282	
11	0.031	
13	0.071	
337	0.094	
	योग : 3.350	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरिका नहर के विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1331-भू-अर्जन-कार्य-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—देवरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.955 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अशासकीय भूमि (हे. में.) (2)	शासकीय भूमि (हे. में.) (3)
555	0.075	
558	0.118	
559	0.489	
560	0.003	
541	0.251	
539	1.160	
538	0.615	
536	0.729	
535	0.494	
530	0.909	
519/731	0.706	
520	0.706	
517	0.651	
516	0.373	
515	0.314	
514	0.953	
512	0.565	
511/744	0.118	
553	0.118	
	योग : 8.955	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरिका नहर के विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1333-भू-अर्जन-कार्य-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबघेलान
(ग) नगर/ग्राम—अबेर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.975 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अशासकीय भूमि (हे. में.) (2)	शासकीय भूमि (हे. में.) (3)
319	0.100	
320	0.031	
321	0.022	
274	0.621	
275	-	0.038
253	1.021	
252	0.733	
254	0.379	
318	0.024	
279	0.006	
	योग : 2.975	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरिका नहर के विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1335-भू-अर्जन-कार्य-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबघेलान
(ग) नगर/ग्राम—करही खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.478 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अशासकीय भूमि (हे. में.) (2)	शासकीय भूमि (हे. में.) (3)
113	0.282	
114	0.147	
115	0.253	

(1)	(2)	(3)
116	0.329	
117	0.183	
119	0.004	
112	0.172	
111	–	0.038
154	0.070	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरिका नहर के विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1337-भू-अर्जन-कार्य-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—माधौपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.825 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में.)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
166	1.087	
165	0.185	
164	0.470	
167	0.397	
168	0.019	
170	0.047	
73	0.065	
72	0.018	
74/1	0.320	
74/2	0.426	
75	0.601	
157	0.112	
77	–	0.544
55	–	0.047
56/1	–	0.033
197	0.049	
77/1	0.075	
78	0.500	
79	0.426	
80	0.329	
46	0.517	
47	0.50	
211	0.596	
48	0.612	
	योग : 7.825	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वितरिका नहर के विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पुनर्वास पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. 12-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—ढडारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.532 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
884	0.360
885	0.370
918	0.040
919	0.190
920	0.070
921	0.030
928/1/1	0.430
928/2	0.580
929	0.330
930	0.370
955	0.900
956	0.420
957	0.350
972	0.090
981/2/1 981/2/2	0.570
983/1	0.030
982	0.002
989	0.355
984	0.170
985	0.100
986	0.055
987	0.260
998	0.190
999	0.220
1002	0.060
1003	0.140
1004	0.010
1008	0.110
1009	0.025
1123	0.045
1136	0.355
1137/1	0.200
1151/1 1151/2	0.150
1152	0.230
1153	0.225
1154	0.400
1161	0.195
1170/1	0.055
1162	0.850
कुल योग :	9.532

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 27 नवम्बर 2010

क्र. क्यू-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र.क्र.-06-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इसका समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—भिण्ड
(ग) ग्राम—बरही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.826 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1026	0.464
1034	0.032
1025	0.210
1021	0.120
1020	0.500
1018	0.538
1019	0.560
1013	0.391
1012	0.210

(1)	(2)
1004	0.131
1010	0.290
1011	0.140
1009	0.220
1005	0.079
1006	0.120
1007	0.320
1008	0.180
682	0.222
681	0.020
683	0.126
674	0.310
676	0.009
676	0.044
679	0.110
680	0.878
1376	0.090
1375	0.190
1377	0.880
1378	0.157
1373	0.352
1374	0.370
1372	0.247
1371	0.288
1343	0.200
1345	0.355
1344	0.370
1342	0.080
1341	0.070
1346	0.166
1340	0.010
1339	0.200
1337	0.150
1336	0.180
1335	0.111
1338	0.030
1128	0.480
1129	0.230
1130	0.137
1134	0.110
1133	0.140
1132	0.251
1135	0.066
1136	0.035
1137	0.074
1332	0.069
1334	0.020
1556	0.019
1557	0.233
1558	0.049
1022	0.142
1024	0.057
1035	0.015
योग :	12.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भिण्ड-इटावा मार्ग पर ग्राम बरही पर वार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला भिण्ड एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. 15970-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—सुलीबर्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.102 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
84/4	0.170
84/5	0.250
84/9	0.080
84/11	0.104
84/13	0.035
84/14	0.100
84/15	0.050
112	0.100
117/1/2	0.134
117/1/3	0.110
117/1/4	0.035
118/1	0.145
118/2/1	0.080
118/2/2	0.085
118/3	0.327
121/1/1	0.158
121/1/2	0.030
121/1/3	0.040
258	0.101
268/1	0.048
294/1/1क	0.318
294/1/1ख	0.104
294/1/2	0.420
294/2	0.075
314/1	0.233
319	0.307
320	0.460
322/4	0.500
322/5	0.503
योग :	5.102

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—किसान तालाब मुख्य बांध निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 15965-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र.-02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—कुवाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.437 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
493/1	0.044
499	0.045
502	0.068
845	0.157
851/3	0.066
960/851/1/1	0.057
योग :	0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—किसान तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्र. 10052-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—माचागोरा, प.ह.नं. 09, ब.नं. 227, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल. —01.437 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
168/1	1.053
442/3	0.020
485/1	0.364
कुल योग . .	01.437 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उप संभाग, क्रमांक-4, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10053-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—सिरेगांव, प.ह.नं. 10, ब.नं. 288, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल. —02.270 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
317	0.150
318	0.035
320, 321, 322/2	0.430
340/2क	0.200
340/3-5	0.105
341	0.130
442/1	0.030
442/3	0.185
442/4	0.015
442/2, 444/3	0.310
443, 444/4	0.400
444/5-6	0.180
340/4	0.100
कुल योग . .	02.270 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिरेगांव मायनर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग, क्रमांक 4 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10060-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—बाम्हनवाड़ा, प.ह.नं. 08, ब.नं. 202, रा.नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल. —05.775 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
299/3	0.150
301, 302/2	0.660
302/1	0.250
300/5-6	0.060
357/1, 358/1	0.250
359/3	0.100
357/4, 358/4	0.010
359/2	0.160
359/1	0.140
388/2	0.550
388/3	0.160
387/1	0.190
385/2, 454/2	0.775
385/3, 454/3	0.025
305/1	0.220
305/2	0.135
327/2	0.310
327/3	0.020
331/2, 332/2	0.125
331/4, 332/4	0.210
332/5	0.035
331/3, 332/3	0.250
352/1	0.230
352/4	0.050
354/1,354/3,354/4	0.065
353	0.360
364/1	0.100
364/3	0.025
367/1	0.100
367/10	0.060
योग . .	05.775 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली आर-1 एवं आर-2 माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.